24/5/18 पटवारी हल्का नम्बर अधिक वर्ष - 2017-18 के दौरान में किया गया। अभिलेख परीक्षण के दौरान पाया गया कि खसरा नं. 18 रकबा 1.21 हे. भूमि के रूप में दर्ज है। पटवारी द्वारा अनावेदक [illegible] पटवारी द्वारा अनावेदक श्री [illegible] खसरा नं. 18 रकबा [illegible] भूमि के रूप में दर्ज है पटवारी द्वारा अनावेदक [illegible] पटवारी द्वारा अनावेदक [illegible] के अनुसार [illegible] प्रतिवेदन प्रेषित है

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner